

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-विधि/ 22251-69 /स्वाईन फ्लू/2014-15
विधय- स्वाईन फ्लू के सम्बन्ध में।
महोदय,

दिनांक/फरवरी, 2015

उपर्युक्त विधयक समाचार पत्रों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि स्वाईन फ्लू ने सारे देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया है। इससे बचने के लिए प्रदेश में व्यापक अभियान चलाकर छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों को जागरूक किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

स्वाईन फ्लू के सम्बन्ध में निम्न जानकारी तथा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को आवश्यक रूप से व्यापक प्रचार प्रसार कर अवगत कराएं तथा प्रार्थना सभा में प्रतिदिन स्वाईन फ्लू के सम्बन्ध में निम्नवत् जानकारियां दें तथा नोटिस बोर्ड पर भी अंकित करें।

1. स्वाईन फ्लू एक संक्रमक रोग है और छोंकने, खांसने व हाथ न धोने से दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है।
2. छात्र-छात्राओं को खाने एवं शौच के उपरान्त सर्दी, जुकाम होने पर तत्काल डॉक्टर से जांच कराएं।
3. खांसते एवं छोंकते समय मुंह एवं नाक को रुमाल से ढकें।
4. नाक, कान अथवा मुंह को छूने से पूर्व एवं पश्चात् हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
5. सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले मुंह को कपड़े अथवा मास्क से ढकें।
6. पीटिक आहार का सेवन करें।
7. डॉक्टरी सलाह के बिना कोई दवा न लें।
8. सार्वजनिक स्थल पर इधर-उधर न थूकें।
9. भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाररत न होने पर जाने से बचें।
10. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर समन्यक मध्याह्न भोजन योजना नोडल अधिकारी होंगे जो इसे निरन्तर अनुब्रवण करते रहेंगे।
11. मध्याह्न भोजन के समय हाथ धूलाकर ही भोजन कराएं, भोजन मात्राओं को इस हेतु जनपद अपने स्तर से निर्दश भी जारी करें।

उपर्युक्त के साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि स्वाईन फ्लू अन्य श्रीमारियों की तरह ही सामान्य श्रीमारी है। इससे बचने हेतु स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय। मण्डल, जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण कर छात्रों एवं अभिभावकों को जागरूक करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को अवगत कराएं।

संलग्नक—यथोपरि।

मध्याह्न
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृष्ठा-विधि/ 22251-69 /स्वाईन फ्लू/2014-15 तददिनांक।
प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।

Y
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।